



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940

No. 721]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

सं. 54/2018-केंद्रीय कर

**सा.का.नि. 1011 (अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् .—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (वारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 89 के उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् .—

“(4ख) जहां कर का संदाय किए बिना शून्य दर प्रदायों के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने-

- ऐसे प्रदाय प्राप्त किए हैं, जिस पर प्रदायकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमा शुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमा शुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के या उन सभी के फायदे का उपभोग किया ,

वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया है, प्रतिदाय दिया जाएगा।”।

3. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्,—

“(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को-

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1305(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017-केंद्रीय कर, तारीख 18 अक्टूबर, 2017 का सिवाय उसके, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के संबंध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, फायदे का उपभोग किया गया है ; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के अधीन फायदे का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए।”।

[फा. सं.349/58/2017-जीएसटी(पार्ट.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा, जो सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 1007 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 53/2018-केंद्रीय कर, तारीख 9 अक्टूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(Central Board of Indirect Taxes and Customs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2018

**No. 54/2018 – Central Tax**

**G.S.R. 1011(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely.—

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 89, for sub-rule (4B), the following sub-rule shall be substituted, namely.—

“(4B) Where the person claiming refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supplies without payment of tax has –

- (a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Government of India, Ministry of Finance, notification No. 40/2017-Central Tax (Rate), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1320 (E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321(E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017; or
- (b) availed the benefit of notification No. 78/2017-Customs, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299(E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017,

the refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.”.

3. In the said rules, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely.—

“(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -

- (a) received supplies on which the benefit of the Government of India, Ministry of Finance notification No. 48/2017-Central Tax, dated the 18<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1305 (E), dated the 18<sup>th</sup> October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme or notification No. 40/2017-Central Tax (Rate), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1320 (E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017 has been availed; or

(b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1272(E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1299 (E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme.”.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

DR. SREEPARVATHY S.L. , Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19<sup>th</sup> June,2017, published *vide* number G.S.R 610 (E), dated the 19<sup>th</sup> June, 2017 and last amended *vide* notification No. 53/2018 - Central Tax, dated the 9<sup>th</sup> October, 2018, published *vide* number G.S.R 1007 (E), dated the 9<sup>th</sup> October, 2018.